भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 477

06 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

मेट्रो शहरों के विकास में पीपीपी की भूमिका

477. श्री पी. सी. मोहनः
श्री विजय बघेलः
श्री अनुराग शर्माः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्री सुरेश कुमार कश्यपः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्रीमती कृति देवी देबबर्मनः
श्री तापिर गावः
श्री महेश कश्यपः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की क्या करेंगे किः

(क) सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करने की योजना बना रही है कि विशेष रूप से बेंगलुरु जैसे तेजी से बढ़ते मेट्रो शहरों का विस्तार सतत् और पर्यावरण के अनुकूल हो; और

(ख) क्या इस परियोजना के विकास और वित्तपोषण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की कोई भूमिका है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों(यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजना संबंधी कार्यकलापों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%20I(2)

.pdf) जारी किए हैं। इन यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों का अध्याय-3 "योजना कार्यान्वयन के लिए संसाधन जुटाना" विकास में सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) के विभिन्न पहलुओं/भूमिकाओं से संबंधित है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0 योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों को पीपीपी मोड में शहरी अवसंरचना परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अमृत 2.0 पोर्टल पर राज्यों द्वारा परियोजनाओं की स्थिति के संबंध में दी गई जानकारी के अनुसार, मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में अब तक 6,816.64 करोड़ रुपए की लागत वाली 22 पीपीपी परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

*****